



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

(7)

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर गकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फार्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्त्व या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री श्री. ए. प्र. दिग्गज तिवारी

पिता / पति का नाम श्री श्री. ए. प्र. दिग्गज तिवारी
पता 40/1/105 E.E.B/1 रिश्तक लोदी इलाहाबाद
महल्ला वाई नम्बर

मे नक्शों में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिह्नित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।






श्री. ए. प्र. दिग्गज तिवारी
सचिव 8.3.10
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद







नोट :-

- यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संप्रद शूल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
- इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शों में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र करू तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंफिडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसी निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

CERTIFIED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2021 AND UPDICH 2000.	
PROJECT	STATION AT ELDHO ROAD, ALAYHADD
DWG NO.	HMC/PP/2023/NOV-23
SHEET NO.	1
SCALE	1:100
DATE	NOV 23
DRAWN BY	GHANIMAR
CHECKED BY	E. M. FLESH KHANAR
SEAL & SIGN OF ENGINEER	<i>[Signature]</i> E. M. FLESH KHANAR
OWNER	1. SRD RESHAW KANT VERMA 2. SRD CHAWA THAKUR 3. SRD KISHORE THAKUR



S.N.	PARTICULARS	SIZE
01	DOOR	1000x2100
02	WINDOW	1800x1000
03	DOOR	1000x2100
04	WINDOW	1800x1000
05	WINDOW	1800x1000
06	WINDOW	1800x1000
07	WINDOW	1800x1000
08	WINDOW	1800x1000
09	WINDOW	1800x1000
10	WINDOW	1800x1000



1	FOUNDATION DETAIL
2	FOUNDATION DETAIL
3	FOUNDATION DETAIL
4	FOUNDATION DETAIL
5	FOUNDATION DETAIL
6	FOUNDATION DETAIL
7	FOUNDATION DETAIL
8	FOUNDATION DETAIL
9	FOUNDATION DETAIL
10	FOUNDATION DETAIL
11	FOUNDATION DETAIL
12	FOUNDATION DETAIL
13	FOUNDATION DETAIL
14	FOUNDATION DETAIL
15	FOUNDATION DETAIL
16	FOUNDATION DETAIL
17	FOUNDATION DETAIL
18	FOUNDATION DETAIL
19	FOUNDATION DETAIL
20	FOUNDATION DETAIL